"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2016—भाद्रपद 31, शक 1938

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक 15/चार/2014-16/2426.— भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या 429/छ. ग./2015(1) एवं 429/छ. ग./2015(2), दिनांक 07 सितम्बर, 2016 आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(निधि छिब्बर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 7 सितम्बर, 2016——16 भाद्रपद, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/छ. ग./2015 (1).——लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 21 अगस्त, 2015 की उसकी अधिसूचना संख्या 429/छ. ग./2015 (1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद सं. 52-आरंग (अ. जा.) और 53 अभनपुर के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी -

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (2)
52-आरंग (अ. जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरंग
53-अभनपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अभनपुर

आदेश से,

हस्ता./-
(के. ए. भार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 7th September, 2016 —16 Bhadrapada, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CG/2015 (1).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 429/CG/2015 (1) dated 21st August, 2015.

In column 2 of the Table appended to the said notification, the existing entry against items No. 52-Arang (SC) and 53-Abhanpur the following entry shall be substituted.

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Electoral Registration Officer (2)
52-Arang (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Arang
53-Abhanpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Abhanpur

By order,

Sd/-
(K. N. Bhar)
Secretary
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 7 सितम्बर, 2016—16 भाद्रपद, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/छ. ग./2015 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 21 अगस्त, 2015 की उसकी अधिसूचना संख्या 429/छ. ग./2015 (2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद सं. 47-धरसींवा, 53-अभनपुर, 86-जगदलपुर और 87-चित्रकोट (अ. ज. जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी -

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)		सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (2)
47-धरसींवा	1.	अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खरोरा
	2.	अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, धरसींवा
53-अभनपुर	1.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, अभनपुर
	2.	अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार,गोबरा-नवापारा
86-जगदलपुर	1.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, जगदलपुर
	2.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, दरभा
	3.	आयुक्त नगर पालिका निगम, जगदलपुर
	4.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, छिन्दगढ

(1)		(2)
87-चित्रकोट (अ. ज. जा.)	1.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, लोहण्डीगड़ा
	2.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बास्तानार
	3.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, दरभा
	4.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तोकापाल
	5.	तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, छिन्दगढ़

आदेश से,

हस्ता./-
(के. ए. भार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 7th September, 2016 — 16 Bhadrapada, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CG/2015 (2).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 429/CG/2015 (2) dated 21st August, 2015.

In column 2 of the Table appended to the said notification, the existing entry against items No. 47-Dharsiwa, 53-Abhanpur, 86-Jagdalpur and 87-Chitrakot (ST) the following entry shall be substituted.

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)		Assistant Electoral Registration Officer (2)
47-Dharsiwa	1.	Additional Tahsildar/Nayab Tahsildar, Kharora
	2.	Additional Tahsildar/Nayab Tahsildar, Dharsiwa
53-Abhanpur	1.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Abhanpur
	2.	Additional Tahsildar/Nayab Tahsildar, Gobra-Nawapaara

(1)		(2)
86-Jagdalpur	1.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Jagdalpur
	2.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Darbha
	3.	Commissioner, Municipal Corporation, Jagdalpur
	4.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Chindgarh
87-Chitrakot (ST)	1.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Logandiguda
	2.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Bastanar
	3.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Darbha
	4.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Tokapal
	5.	Tahsildar/Additional Tahsildar/ Nayab Tahsildar, Chindgarh

By order,

Sd/-
(K. N. Bhar)
Secretary
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.